भारत संचार निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार

मध्यप्रदेश परिमंडल , भोपाल

परिमण्डल काउन्सिल बैठक के मुद्दे एवं जवाब

दिनांक 28/05/2019

परिमंडल काउंसिल बैठक 28.05.2019 के माननीय अध्यक्ष, सचिव, लीडर एवं सदस्य

	प्रबंधन पक्ष			स्टाफ पक्ष	
1	डॉ. महेश शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, म.प्र.	अध्यक्ष	1	श्री प्रकाश शर्मा	सचिव
2	श्री एम.एफ.अंसारी, प्रधान महाप्रबंधक(एनपीडी - सीएफए)	सदस्य	2	श्री हबीब खान	लीडर
3	श्री नीरज खरे, प्रधान महाप्रबंधक(एनडब्लूओ - सीएफए)	सदस्य	3	श्री बी.एस.रघुवंशी	सदस्य
4	श्री प्रकाश बल्लाल, प्रधान महाप्रबंधक (ई.बी)	सदस्य	4	श्री एच.एस.ठाकुर	सदस्य
5	श्री एस.तिवारी, प्रधान महाप्रबंधक(एनडब्लूपी / एनडब्लूओ - सीएम)	सदस्य	5	श्री डी.एस.भदोरिया	सदस्य
6	श्री एम.रत्ना बाबू, वरि.महाप्रबंधक(वित्)	सदस्य	6	श्री लखन पटेल	सदस्य
7	श्री के.के.सूर्यवंशी, महाप्रबंधक (एच आर /एडमिन)	सदस्य	7	श्री मनोज शर्मा	सदस्य
8	श्री पी.दयाल, महाप्रबंधक (एस.एंड एम -सीएफए)	सदस्य	8	श्री कैलाश चौधरी	सदस्य
9	श्री अरुण कुमार, महाप्रबंधक (एस.एंड एम -सीएम)	सदस्य	9	श्री के.एस.ठाकुर	सदस्य
10	श्री मनोज कुमार,महाप्रबंधक(एनओएफएन)	सदस्य	10	श्री ए.के.मिश्रा	सदस्य
11	श्री ए.के.पाण्डेय, प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल	सदस्य	11	श्री नरेन्द्र राठोर	सदस्य
12	श्री सुरेश बाबू , प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, इंदौर	सदस्य			
13	श्री पंकज गुप्ता, महाप्रबंधक दूरसंचार जिला,, ग्वालियर	सदस्य			
14	श्री आर.के.सोनी,महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर	सदस्य			
15	श्री पंकज उप्पाध्याय,महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, उज्जैन	सदस्य			
16	श्री एम.आर.रावत,जोनल प्रधान महाप्रबंधक, इंदौर	सदस्य			
17	श्री आर.के.मिलन, जोनल महाप्रबंधक, भोपाल	सदस्य			
18	श्री पंकज गुप्ता, जोनल महाप्रबंधक, ग्वालियर	सदस्य			
19	श्री अखिलेश गुप्ता, जोनल महाप्रबंधक, जबलपुर	सदस्य			
20	श्री एम.सी.वर्मा,प्रधान मुख्य अभियंता (इलेक्ट.), भोपाल	सदस्य			
21	श्री पी.के.श्रीवास्तव,मुख्य अभियंता (सिविल), भोपाल	सदस्य			
22	श्री पी.के.श्रीवास्तव,महाप्रबंधक (अर्ब., लैंड एंड बिल्ड.), भोपाल	सदस्य			
23	श्री वाई.के.पोरस,सहा.महाप्रबंधक (ओ एंड एम)	सदस्य			
24	श्री एम.जी.हुसैन,सहा.महाप्रबंधक (एडमिन)	सदस्य			
25	श्री वी.के.सिंह,सहा.महाप्रबंधक (एच आर)	सदस्य			
26	श्री के.सी.आर्या ,सहा.महाप्रबंधक (वेलफेयर)	सदस्य			

परिमण्डल काउन्सिल बैठक के मुद्दे एवं जवाब दिनांक 28/05/2019

क्रं.	मुद्दे	जवाब / कार्यवाही
1.	**ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम** बीएसएनएल में कार्यरत नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लाइज ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम, एम पी सर्किल की तर्ज पर ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम लागू की जाए | यह योजना केवल इच्छुक नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए ही हो |	माननीय मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. परिमंडल कर्मचारी कल्याण के कार्य में गहन रूचि रखते है एवं उनके सफल दिशानिर्देशन पर म.प्र. दूरसंचार परिमंडल में अधिकारियो एवं कर्मचारियों के कल्याण हेतु कई योजनाये जैसे आकार्यपालक कर्मचारी निधन सहायता कोष , कार्यपालक निधन सहायता कोष एवं कार्यपालक अधिकारी ग्रुप टर्म इन्सुरेंस स्कीम सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है | नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों की यूनियन एवं सेवा(SEWA) एसोसिएशन की मांग अनुसार नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों (Direct recruited JEs, CGA and sports Quota Appointees) में भी ग्रुप टर्म इन्सुरेंस स्कीम लागू करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रं WL/Non-Executive GTI / 2018-19/05 dated 12.03.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सभी आयु वर्ग के कर्मचारियों (Direct recruited JEs, CGA and sports Quota Appointees) से आप्शन मांगे गए थे | जिसमे LIC के साथ रू. 20 लाख के सम एश्योर्ड के लिए लगभग Rs. 3470/-including 18% GST(Rs. 2940/-+ Rs.530/-GST) की वार्षिक बीमा क़िस्त रहेगी| अभी तक कुल 23 ही आवेदन प्राप्त हुये है जो की अत्यंत कम हैं अतः इस पर LIC से चर्चा उपरांत एक बार पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रं. WL/Non-Executive GTI / 2018-19/06 dated 23.05.2019 द्वारा आप्शन देने के लिये पत्र जारी कर दिया गया हैं | इस विषय पर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों की यूनियन से परिमंडल प्रशासन अनुरोध करता है कि इस जानकारी का प्रचार-प्रसार जितना हो सके सभी नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों तक पंहुचाये ताकि सभी नॉन एग्जीक्यूटिव इस योजना का लाभ उठा सके | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**

2.	**बीएसएनएल में आय के अन्य स्त्रोत खोजे जाएँ** **(क)** बीएसएनएल के अपने स्वयं के राजस्व अर्जन के मूल स्त्रोत दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं | मोबाइल व लैंडलाइन सेगमेंट में हमारा राजस्व बेहद कम हो गया हैं | ऐसे में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से अतिरिक्त आय प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएँ | हमारे पास बड़ी संख्या में क्वार्टर्स उपलब्ध है | बीएसएनएल कर्मियों की /रिटायर्ड कर्मियों की आवश्यकता पूर्ति पश्चात् रिक्त क्वार्टर्स किसी भी PSU, राज्य सरकार के आधीन निगम व कार्यालय आदि को किराये [आर दिए जा सकते हैं| इस हेतु इन क्वार्टर्स का नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल पश्चात् मेंटेनेंस भी जरुरी है | इसी प्रकार कई एक्सचेंज व कार्यालय में किराए पर देने योग्य स्थान उपलब्ध है |इस दिशा में गंभीर चिंतन और कोशिश से बीएसएनएल को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है | कुछ एसएसए में इस संबंध में सफल प्रयास भी हो चुके हैं|	माननीय मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. परिमंडल इस मुद्दे पर अत्यंत गंभीर हैं एवं आय के नए नए स्त्रोत खोजने के लिए सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं | माननीय मुख्य महाप्रबंधक के मार्गदर्शन से BRBRAITT जबलपुर , इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर एवं नेहरु पार्क ,खंडवा, झाबुआ, जबलपुर ,मंदसौर, बालाघाट, गुना में भवन किराये पर दे दिए गए है एवं भोपाल में सिटी एक्सचेंज को CBSC एवं भोपाल तथा जबलपुर में खाली भवन किराये से देने हेतु कार्वी सेंटर को ऑफर दिया गया है | इसके अतिरिक्त जानकारियाँ निम्न है :- **(क)** खाली मकानों और भवनों को किराये पर देने हेतु सभी एसएसए को निरंतर निर्देश जारी किये जाते रहे है एवं सभी एसएसए भी इस हेतु लगातार प्रयास करते रहते है एवं सभी एसएसए के प्रयास से इस मद में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक तक़रीबन 1.22 करोड़ रेवेन्यु प्राप्त हुआ है | **महाप्रबंधक (आर्ब. लेंड एंड बिल्ड.)** भोपाल में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों /अधीनस्थ निगमों के 32 कर्मचारियों को विभागीय आवास आवंटित किये गए हैं | इन कर्मचारियों से प्रतिमाह लगभग 02 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है | अगर इन आवासों का मेंटेनेंस होता है तो ओर अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)** कई एसएसए जैसे जबलपुर, इंदौर,उज्जैन, मुरैना, रतलाम,में रिक्त पड़े स्टाफ क्वार्टर को अन्य PSU, राज्य सरकार के अधीन निगम व कार्यालय आदि को किराये पर दिये जा चुके है | कई एसएसए में कार्य किये जाने के प्रयास जारी है जैसे ग्वालियर,छिन्दवारा , खरगोन, विदिशा, उज्जैन, नरसिंहपुर , शहडोल, शाजापुर,धार, बैतूल | कुछ एसएसए में कार्य प्रगति पर है जैसे रतलाम, शिवपुरी, झाबुआ | विभिन्न एसएसए से भी इस विषय पर जवाब एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस ओर सतत प्रयास किये जा रहे हैं अपितु पुराने जर्जर भवनों एवं रिक्त स्टाफ क्वार्टर्स को रख रखाव की आवश्यकता है ताकि इनका समुचित तरीके से उपयोग किया जा सके | कम्युनिटी हॉल एवं अन्य ग्राउंड को जन साधारण के लिए विवाह/ पारिवारिक समारोह

		हेतु दिया जा सकता हैं | शहर की प्राइम लोकेशन पर बाहय भाग पर शॉप्स निर्माण कर लीज आउट की जा सकती है लेकिन इस कार्य के लिए DoT के अनुमोदन की जरुरत पड़ती है जो म.प्र. परिमंडल के विभिन्न स्थानों पर IOCL द्वारा पेट्रोल पंप लगाने के संबंध में लंबित है | विभिन्न एसएसए से प्राप्त जवाब की प्रतिलिपि संलग्न हैं | **सभी एस.एस.ए प्रमुख**
	(ख) बीएसएनल के क्वार्टर में रह रहे टर्म व सीसीए सेल के कर्मचारियों/ अधिकारियों से क्या बीएसएनएल अतिरिक्त राशि ले रहा है ? या फिर उन्हें भी बीएसएनएल कर्मी के समान ट्रीट किया जा रहा है ? जानकारी देवें ।	**(ख)** बीएसएनएल के आवास में निवासरत टर्म सेल अथवा सीसीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीएसएनएल के कर्मचारियों की तरह ही HRA,Licence Fee एवं water charge की राशि वसूलने हेतु प्रतिमाह स्टेटमेंट जारी किये जाते हैं एवं समय समय पर निगमित कार्यालय को भी लिखा जा रहा है । बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस से दिनांक 15.11.2018 (प्रति संलग्न) को प्राप्त निर्देशानुसार डॉट एवं बीएसएनएल के मध्य होने वाले MOU लागू होने तक अगर डॉट का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी विभागीय आवास लेता है तो अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह आवास का किराया, लाइसेंस फीस, जल प्रभार एवं मेंटेनेंस प्रभार लिया जायेगा | लेकिन दूरसंचार विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है | म.प्र.परिमंडल द्वारा किये गये सतत प्रयासों के कारण निगमित कार्यालय ने अपने पत्र क्रमांक BSNL/6-1/SR/2018 dated 06.05.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये है जिसके अनुसार एक MOU, दूरसंचार विभाग के साथ किया जावेगा ताकि बीएसएनएल के क्वार्टर लीज राशि पर DoT को दिये जा सके | इस हेतु परिमंडल कार्यालय ने दिनांक 24.05.2019 को CCA भोपाल को पुराना बकाया रू.1,46,45,034/- के साथ नया लीज MOU साथ करने हेतु पत्र लिख दिया है | साथ ही पैरा क्रमांक 3 के अनुसार निगमित कार्यालय को पुराने बकाया के भुगतान हेतु दिनांक 24.05.2019 को पत्र लिखा जा चुका है |(प्रति संलग्न) एवं DoT/CCA के ऊपर लगभग 1.46 करोड़ रुपये HRA के लेना बाकी हैं जिसके लिये उपरोक्तानुसार सतत प्रयास जारी है । दिनांक 17.02.2019 तक अन्य विभागों एवं सेवा निवृत कर्मचारियों से आवास किराए के मद में बीएसएनएल को रु.39,60,363/- प्राप्त हो चुके हैं । **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**

	(ग) परिमंडल कार्यालय के एनेक्सी भवन में ऑडिट कार्यालय हेतु जगह आवंटित की गई है । क्या इनका बिजली बिल व अन्य मेंटेनेंस का खर्च बीएसएनएल वहन कर रहा है ? यदि नहीं, बीएसएनल को इस तरह के अन्य मदो में हुए खर्च की राशि वसूल करना चाहिए।	**(ग)** एनेक्सी भवन में ऑडिट कार्यालय का बिजली बिल व अन्य मेंटेनेंस का खर्च बीएसएनएल के द्वारा वहन किया जा रहा है | बिजली का बिल मार्च-2014 से फ़रवरी-2019 तक कुल रु.17,48,112 /- बकाया है | इसके लिए इस कार्यालय के द्वारा वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एनेक्सी भवन, भोपाल को हर माह का बिल भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है |(प्रतिलिपि संलग्न) लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है | निगमित कार्यालय द्वारा पत्र क्रं 501-11/2014-BT/O&M Dated 09.04.2019 के द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि परिमंडल में सभी संबंधित DoT यूनिट्स से बकाया राशि का भुगतान हेतु त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी जाये | हालाँकि इस पात्र में P&T ऑडिट का जिक्र नहीं है फिर भी DoT के पत्र का सन्दर्भ लेते हुए परिमंडल कार्यालय के पत्र क्रं. SY-25/Electric Bill Payment/2018-19/35 dtd. 24.05.2019 के द्वारा बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने हेतु अनुरोध किया गया है | (प्रतिलिपि संलग्न) **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**
	(घ) बीएसएनएल बीएसएनल के भवनों / जमीन का नियम विरुद्ध बगैर उचित भुगतान किए उपयोग कर रहे डॉट के अन्य यूनिट्स (यदि हो तो) की जानकारी दी जाए व यथोचित कार्यवाही की जाए।	**(घ)** इस तरह की कोई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है | **महाप्रबंधक (आर्ब. लेंड एंड बिल्ड.)**
	(च) केबल डैमेज के प्रकरणों में त्वरित डिमांड नोट भेज कर वसूली हेतु कार्यवाही से भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो सकता है । डिमांड नोट प्रेषण में और वसूली में कोताही नहीं बरती जाए । क्या सतना में 33 लाख की वसूली की जा चुकी है ,बताया जाए।	**(च)** विभिन्न एसएसए से प्राप्त जवाबानुसार कई एसएसए में केबिल डेमेज के प्रकरणों में डिमांड नोट दिया जा रहा है तथा वसूली के लिए प्रयास किया जाता है| जैसे छिंदवाडा , विदिशा, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन,रीवा, नरसिंहपुर, शहडोल, ग्वालियर , देवास, शाजापुर, धार,छतरपुर, खंडवा, बैतूल, शिवपुरी , रतलाम, झाबुआ, राजगढ़ , पन्ना,सीधी , सिवनी , बालाघाट,मंडला, / कई एसएसए में इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है जैसे भोपाल, गुना, मुरैना /कुछ एसएसए में इस प्रकरण पर अभी डिमांड नोट जारी नहीं किया गया है जैसे सागर, मुरैना, मंदसौर| **सभी एस.एस.ए प्रमुख**

		सतना एसएसए में केबिल डेमेज के संबंध में 33 लाख रूपये का मांग -पत्र भुगतान हेतु में.रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड को भेजा गया था एवं भुगतान हेतु स्मरण पत्र दिनांक 21.12.2018 को भेजा गया है | भुगतान हेतु सार्थक पहल की जा रही है , भुगतान न होने पर में.रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड पर नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही की जावेगी | **दूरसंचार जिला प्रबंधक, सतना**
3.	**मेडिकल बिल्स का भुगतान** **(अ)** मेडिकल बिल्स के भुगतान में अनावश्यक विलंब /अति विलंब होता है। इस हेतु निश्चित समयावधि निश्चित की जाए। माननीय मुख्य महाप्रबंधक यूनियन से चर्चा के दौरान अधिकतम 3 माह में भुगतान हेतु सहमति दे चुके हैं इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।	**(अ)** इस कार्यालय में दिनांक 31.03.2018 तक कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं था | लगभग सभी प्राप्त बिलों का समय सीमा के अन्दर निराकरण कर दिया जाता है | कर्मचारियों के स्वयं के मेडिकल बिलों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब कर्मचारी द्वारा अवकाश नहीं लेने अथवा अन्य बिल निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार क्लेम नहीं भेजने के कारण होता है | प्रायः यह देखा गया है कि एसएसए से प्राप्त होने वाले क्लेम अपूर्ण एवं काफी विलम्ब से कल्याण अनुभाग, परिमंडल कार्यालय को भेजे जाते हैं | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)** सामान्य तौर पर आउटडोर मेडिकल बिल स्टाफ के द्वारा जमा करने के एक माह के अन्दर चेक कर ई आर पी में फीड कर दिया जाता है | इंडोर मेडिकल मेडिकल बिल में कई बार सभी औपचारिकताये पूर्ण न होने पर विलंब होता है | विभिन्न एसएसए से प्राप्त जवाब अनुसार प्राप्त मेडिकल बिलों को समय पर प्रोसेस कर भुगतान हेतु भेज दिया जाता हैं एवं फण्ड की उपलब्धता पर तुरंत भुगतान हो जाता है जैसे भोपाल,जबलपुर, इंदौर ,विदिशा,उज्जैन , सतना , नरसिंहपुर , सागर , देवास , धार ,छतरपुर, मुरैना, खरगोन,बैतूल, रतलाम, पन्ना, सीधी,बालाघाट | कुछ एसएसए में मेडिकल बिल लंबित है जैसे शहडोल उनके पत्रानुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर परिमंडल कार्यालय को भेजा जायेगा एवं निस्तारण निर्धारित समयावधि के अन्दर करना सुनिश्चित किया जायेगा | **सभी एस.एस.ए प्रमुख**

	(ब) मेडिकल एडवांस प्रक्रिया को अति सुगम बनाया जाए।	**(ब)** मेडिकल बिल्स के भुगतान में अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु और मेडिकल एडवांस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु एसएसए प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि मेडिकल बिल्स के भुगतान और मेडिकल एडवांस भुगतान समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करे | **महाप्रबंधक(वित्त)**
4.	**COW BTS** इंदौर स्टोर में COW BTS बगैर किसी उपयोग के पड़े हुए हैं । इनको उपयोग युक्त बनाने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की गई थी। इस मद में कितना खर्च हुआ , सूचित करें । साथ ही बी एस एन एल की राजस्व वृद्धि में COW BTS का समुचित उपयोग हो सके यह सुनिश्चित करें , किंतु बगैर अतिरिक्त खर्च किए।	COW BTS के संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है की परिमंडल में चार COW BTS उपलब्ध है जो की GSM प्रोजेक्ट फेज 5 में ख़रीदे गये थे | उज्जैन सिहस्थ मेले में उपयोग में लाया गया था | तदुपरांत इन COW BTS को इंदौर SSA के पास रखा गया है | समय समय पर अन्य SSA की मांग पर परिमंडल के आदेश अनुसार विभिन्न स्थानों पर उपयोग में लिया जाता है | जैसे की विगत समय में इन COW BTS को P M विजीट के दौरान अमरकंटक में, रायसेन के जैन मेले, खंडवा के हनुमंतिया जल महोत्सव एवं इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच के दौरान उपयोग में लिया गया था | वर्तमान में चारो BTS इंदौर एसएसए के पास ही रखे हुए है | **प्रधान महाप्रबंधक (नेटवर्क प्लानिंग- सीएम), भोपाल** As per letter No. G-68/EE(E) -1/BSNL-IND/2018-19/155 dated 20/12/2018 from EE Electrical Indore (copy enclosed) matter has been received for sending back the COW BTS to the SSAs from where these were diverted to EE Electrical Indore. The status of equipments available at these COW BTSs may please be taken as per Annexute-2 . (प्रतिलिपि संलग्न है) **प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, इंदौर**
5.	**सिम विक्रय से प्राप्त आय** बीएसएनल में विभिन्न प्रयासों के जरिए सिम विक्रय में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस विक्रय हेतु फ्रेंचाइजी को भी बीएसएनएल द्वारा कमीशन के रूप में बड़ी राशि दी जा रही है । फ्रेंचाइजी को इस वित्तीय वर्ष में देय कमिशन की कितनी राशि दी गई और	महाप्रबंधक(S & M) से प्राप्त जवाब : Total Pre-paid revenue upto Nov-18 : 61.93 Crs. Total Pre-paid revenue upto Nov-18(Franch) : 47.06 Crs. Total Pre-paid SIM upto Nov-18 : 479776 Total Pre-paid SIM upto Nov-18(Franch) : 375584 Total Commission disbursed to franchisee : Rs.1,75,56,913/- **महाप्रबंधक(एस एंड एम- सी एम)**

	फ्रेंचाइजी द्वारा विक्रीत सिम संख्या से अवगत कराएं । साथ ही इन सिम से प्राप्त राजस्व राशि भी सूचित करें । क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे फ्रेंचाइजी को बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गई राशि व प्राप्त राजस्व की मॉनिटरिंग की जा सके ? कहीं ऐसा तो कि हम केवल कमीशन का भुगतान, प्राप्त राजस्व से अधिक कर रहे हैं ? यथोचित जांच हो।	
6.	**मीटिंग्स पर अनावश्यक खर्च ना किया जाए** यह देखने में आया है की बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति क्षीण होने के बावजूद अनावश्यक खर्चों में कटौती नहीं की जा रही है । कई मीटिंग्स बीएसएनएल के अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में आसानी से की जा सकती है । बावजूद इसके यह मीटिंग्स होटल होटल्स में आयोजित कर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है । इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए ।	विगत एक वर्ष में परिमंडल कार्यालय की समस्त मीटिंग परिमंडल कार्यालय के कान्फरेंस हॉल में ही आयोजित कि गई है एवं एक मीटिंग में कान्फरेंस हॉल को 15 हजार रुपए के किराये में दिया जा चुका है	मीटिंगों में भी यथा संभव मित्तव्ययता बरतने की कोशिश परिमंडल प्रशासन की ओर से की जा रही है एवं NOFN से संबंधित सभी मीटिंगों का व्यय NOFN में बुक किया जा रहा है | इस विषय पर सभी एसएसए से जवाब माँगा गया था	एसएसए से प्राप्त जवाब अनुसार एसएसए की समस्त मीटिंग बीएसएनएल के अपने सभाकक्ष में ही आयोजित की जाती हैं एवं उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत ही बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के बैठके की जाती हैं| जैसे छिंदवाडा, विदिशा,जबलपुर, भोपाल,उज्जैन, नरसिंहपुर, सागर,शहडोल , गुना, देवास, शाजापुर,धार, छतरपुर, मुरैना,खरगोन, बैतूल, मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर ,राजगढ़, पन्ना,सिवनी, बालाघाट, मंडला | कुछ सुझाव भी प्राप्त हुये है जैसे मीटिंग को वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा संपादित करना चाहिये जिससे यात्रा भत्ता ,मीटिंग खर्च एवं समय की बचत होगी |खंडवा एसएसए में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये मीटिंग प्रारंभ की जा चुकी हैं | **सभी एस.एस.ए प्रमुख**
7.	**सोलर पैनल का समुचित दोहन हो** कुछ इकाइयों से प्राप्त जानकारी अनुसार सोलर पैनल का समुचित दोहन नहीं हो पा रहा है और सोलर चैनल्स स्थापित किए जाने	It was informed that in spite of installation of Solar Power plant there is not saving in Electric bill amount and no specific site was mentioned. In this regard it is hereby informed that there is sufficient saving in electric bill amount , details as below :- ->Electric Bill amount for the year 2017-18 was Rs. 6972.51 lacs,

	के बावजूद इलेक्ट्रिक बिल्स में अपेक्षित कमी नहीं हुई है और बीएसएनल को आर्थिक रूप से दोहरी क्षति हो रही है इसकी जांच की जाए और वांछित सुधार किए जाए ।	-> Electric Bill amount for the year 2018-19 was Rs. 6462.74 lacs, Saving of Rs. 509.77 Lacs. Solar unit generation of HT connection building, Total Unit generation =- 2784766 units, from April'18 to Dec'18. Solar unit generation of LT connecting building, Total units generation = 381400 Units, from April'18 to Dec'18. Total units generation (SOLAR) =3166166 Thus total amount Rs. = 3166166@9.50 per unit = Total Rs. 30078571/- As this office is analyzing HT connection sites, Solar generation , the details of HT connection sites are as follows :- **->**MPEB HT bill Amount for the year 2017-18 was Rs. 2340.88 lacs, **->** MPEB HT bill Amount for the year 2018-19 was Rs. 2169 lacs Hence net saving in HT connection = Rs. 171.88 lacs. Data is available on MP intranet with power point presentation for Solar generation & saving due to its use. **प्रधान मुख्य अभियंता(विधुत)**
8.	**फॉर्म नंबर 16 में सुधार** यह ध्यान में लाया गया है कि लेखा अनुभाग द्वारा जारी फॉर्म 16 में अलग-अलग इनकम दर्शाई गई है। इस एरर की वजह से कर्मचारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिरिक्त टैक्स जमा करने हेतु नोटिस भेजे गए हैं । वैसे तो यह त्रुटि मानवीय न होकर सॉफ्टवेयर की वजह से होने की संभावना है । इस संबंध में आवश्यक जांच व सुधारात्मक कार्यवाही शीघ्र की जाए।	संज्ञान में आया है कि फॉर्म 16 में सॉफ्टवेयर की वजह से त्रुटी के कारण कर्मचारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अतिरिक्त टैक्स जमा करने हेतु नोटिस प्राप्त हो रहे है	इस विषय में टैक्सेशन सेल को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की त्रुटियों को देखे और सुनिश्चित करे कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है तो उसे संबंधित विभाग से मिलकर सॉफ्टवेयर को सही करवाये और इसके साथ साथ सभी एसएसए प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि सॉफ्टवेयर में सही और पूरी जानकारी सिस्टम में डाले जिससे कि सही इनकम टैक्स की गणना हो सके | **महाप्रबंधक(वित्त)**

9.	**क्रेडिट सोसायटी की रिकवरी** विभागीय क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेने वाले कुछ ऐसे कर्मचारियों के प्रकरण ध्यान में लाए गए हैं ,जिनके द्वारा लिए गए लोन का भुगतान नहीं किया जाता है और ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पश्चात् जमानतदारो से ऋण बकाया की वसूली की जा रही है । पूर्व में रिटायर्ड कर्मियों के सेवानिवृत्ति उपरांत किए जाने वाले भुगतान "नो ड्यूज " पश्चात ही किए जाते थे। किंतु कुछ एस एस ए में इस व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें जिससे कि डिफाल्टर होने की स्थिति में जमानतदारो को राहत मिल सके।	इस विषय में सभी एसएसए प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत करते समय सोसाईटी से नो ड्यूज प्राप्त करे जिसके कारण जमानतदरो को परेशानी का सामना न करना पड़े । **महाप्रबंधक(वित्त)**
10	**परिमंडल काउंसिल के मिनिट्स जारी करने में विलंब** परिमंडल काउंसिल के मिनिट्स जारी करने में अनावश्यक विलंब होता है। समय सीमा निर्धारित की जाए ।	प्रबंधन की ओर से परिमंडल काउंसिल के मिनिट्स समय पर ही तैयार कर लिए जाते है परन्तु परिमंडल काउंसिल के मिनिट्स जारी किये जाने से पूर्व, सचिव एवं लीडर को दिखाने एवं उनकी सहमति लेने की प्रथा के कारण कई बार परिमंडल काउंसिल के मिनिट्स जारी किये जाने में विलंब होता हैं । अतः इस प्रथा को समाप्त किये जाने के बारे में विचार किया जा सकता है जिससे कि अनावश्यक विलम्ब न हो । **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**
11	**गलत मेडिकल बिल** कुछ हॉस्पिटल द्वारा गलत बिल बनाए जा रहे हैं ।इसकी जांच कराएं , यथोचित कार्यवाही की जाए, कर्मचारी से अधिक वसूली गई राशि रिफंड की जाए । मालती हॉस्पिटल भोपाल के 2 प्रकरण 3 वर्षों से परिमंडल कार्यालय में लंबित हैं।	परिमंडल कार्यालय में मेडिकल बिलों की स्क्रूटिनी में प्रायः यह देखा जाता है कि भोपाल में सभी एम्पेनल्ड अस्पताल (कुछ अस्पताल को छोड़ कर) अपने रेट के हिसाब से मेडिकल बिल जारी करते है जबकि सभी अस्पताल का एम्पेनल्मेंट CGHS रेट या उस पर डिस्काउंट के अनुसार होता है । इस संबंध में सभी बी. ए. एवं एसएसए प्रमुखों से निवेदन किया गया है कि वे सभी एम्पेनल्ड अस्पताल से बात कर यह सुनिश्चित करे कि सभी बिल CGHS रेट पर एग्रीमेंट के हिसाब से जारी हो ताकि जाँच के उपरांत नियमानुसार भुगतान हो सके और कोई भी अतिरिक्त राशि कर्मचारी को न देना पड़े । चर्चानुसार कई अस्पताल इस बात पर सहमत नहीं है ।

		श्री संतोष कुमार मीणा एवं श्री मयंक चतुर्वेदी के बिलों के संबंध में मालती अस्पताल को पत्र लिखा गया था जिसके जवाब में मालती अस्पताल ने दिनांक 24.11.2017 को बताया कि उन्होंने जो बिल दिया है वह सिजेरियन डिलेवरी के अलावा कुछ जटिल स्थिति की वजह से अतिरिक्त प्रक्रिया (procedure) किये गये थे जिसका उन्होंने अतिरिक्त चार्ज लिया है | इस जवाब को मेडिकल बिल के साथ डॉ. अनिल गुप्ता को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिये दिया गया था जिस पर उन्होंने बताया कि प्रकरण में अपनाये गए प्रोसिजर सही नहीं है एवं सलाह दी कि इस संबंध में बीएसएनएल को संचालक स्वास्थ्य सेवा की सलाह लेनी चाहिए | अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2017 एवं 22.05.2018 के द्वारा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, म.प्र. सतपुरा भवन, भोपाल को अतिरिक्त बिलिंग के संबंध में लिखा गया हैं | जिसका जवाब अभी तक अप्राप्त है | परिमंडल प्रशासन द्वारा इस पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है एवं यथाशीघ्र इसे सारी वस्तुस्थिति के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)** एसएसए से प्राप्त जवाबानुसार इन्पेनल्ड अस्पतालों के बिल चेक करके ही भेजे जा रहे है एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जाता हैं | (प्रतिलिपि संलग्न है|) **सभी एस.एस.ए प्रमुख**
12	**दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को मासिक बैठक** दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा मासिक बैठक दी जाए समय निर्धारण किया जाए।	आवश्यकतानुसार समय समय पर जब भी दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा चर्चा हेतु बैठक चाही गई है उनकी बैठक को आयोजित किया गया है एवं उनकी समस्याओ का समाधान भी किया गया हैं | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**
13	**एसएसए हेड मीटिंग में यूनियन को चर्चा हेतु अवसर** एसएसए हेड मीटिंग में पूर्व की तरह यूनियन को चर्चा हेतु अवसर दिया जाए।	एसएसए हेड मीटिंग निगमित कार्यालय द्वारा म.प्र. परिमंडल को दिये गये लक्ष्यों, उपलब्धियों एवं बीएसएनएल के विस्तार से संबंधित चर्चाओं के लिये आयोजित की जाती है जिसमे महाप्रबंधक(प्रशासन) द्वारा यूनियन से संबंधित मांगो पर भी चर्चा की जाती है चूँकि सामान्यतः एसएसए हेड मीटिंग एक दिन के लिए ही होती है | अपितु प्रशासन इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है एवं उचित निर्णय से अवगत करवाया जायेगा | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**

14	**पनिशमेंट पश्चात पदोन्नति** किसी भी कर्मचारी को पनिशमेंट समाप्ति के बाद ड्यू डेट से नोशनली पदोन्नति दी जाए व आर्थिक लाभ दंड समाप्ति के बाद देवे।	बीएसएनएल निगमित कार्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशो (प्रतिलिपि संलग्न) के आधार पर ही इस तरह के प्रकरणों में निर्णय दिया जाता है एवं म.प्र. परिमंडल में इसका पालन किया जा रहा है | हाल ही में एक J.E. श्री सुखराम सिंह नेताम की पदोन्नति परिमंडल कार्यालय द्वारा दिनांक 16.05.2019 को की जा चुकी है(प्रतिलिपि संलग्न)| इस संबंध में यदि कोई प्रकरण हो तो परिमंडल प्रशासन के संज्ञान में लाया जा सकता है | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**
15	**DOT पेंशन सेल** **(अ)** रिटायर्ड कर्मियों को 4-4 माह पश्चात पेंशन मिल रही है जबकि पहले 2 माह में मिल जाती थी । सुधार आवश्यक है । **(ब)** पेंशन बुक प्राप्त न होने या गुम हो जाने पर दूसरी बुक प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराएं । **(स)** डॉट सेल द्वारा सभी रिटायर्ड कर्मचारियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि मांगे जा रहे हैं ।इसका उद्देश्य क्या है , क्या पेंशन वितरण के तरीके में परिवर्तन हो रहा है ? स्पष्ट करें।	**(अ)** रिटायर्ड कर्मियों को 4-4 माह पश्चात पेंशन मिलने के संबंध में सभी एसएसए प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और उनसे सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है कि रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके **महाप्रबंधक(वित्त)** **(ब)** इस मुद्दे पर नियंत्रक संचार लेखा, भोपाल को पत्र क्रं . एस आर 12/ यूनियन/ सर्किल कौंसिल मीटिंग / अंक-5/2017- 18/38 दिनांक 26.12.2018 के द्वारा जवाब मांगे गये थे | पत्र क्रमांक सी सी ए /एम पी टी/सामान्य पत्राचार/5375 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा नियंत्रक संचार लेखा, भोपाल से जवाब प्राप्त हो चुका है जिसमे प्रक्रिया संलग्न करके दी गई हैं | (प्रतिलिपि संलग्न है |) **(स)** CCA कार्यालय से हुई चर्चानुसार, भारत सरकार द्वारा पेंशन वितरण व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अनुसार भविष्य में पेंशन का वितरण CCA कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा | CCA कार्यालय ने बताया की इस व्यवस्था के कारण सभी PPO को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड से जोड़ा जा रहा हैं एवं उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी पेंशनर शीघ्रातिशीघ्र अपने आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि CCA कार्यालय में जमा करवाये | **महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.)**